[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the June, 2020

G.S.R. . . . (E). - In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "seven months" the words "ten months" shall be substituted.

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]

Joint Secretary to the Government of India

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 268 (E), dated the 29th April, 2020.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2020

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

 (1) ये नियम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

 कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) में, "सात माह" शब्दों के स्थान पर "दस माह" शब्द रखे जाएंगे।

> [फा.सं. 8/4/2018-सीएल-I, पार्ट-1] के.की.अरिट्रे रि ट्रेड(6/2020 (के.वी.आर. मूर्ति) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें दिनांक 29 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268 (अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधन किया गया था।
